

प्रेस नोट दिनांक 29.10.2020

1. दिनांक 28.10.20 को वादी श्री गुलाब यादव पुत्र मूसे यादव नि० बछड़ा सुलतानपुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय सेन पुत्र पारसनाथ नि० बछड़ा सुलतानपुर थाना को०अयोध्या अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 720/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 28.10.20 को वादी श्री अंकित तिवारी पुत्र सत्यदेव नि० रसूलाबाद थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आल्टो कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० मे टक्कर मार देना जिससे वादी व उसके मित्र को गम्भीर चोटें आना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 721/20 धारा 279, 337, 338, 427, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 28.10.20 को वादी श्री तेजनाथ पुत्र मातादीन नि० इसौलीभारी थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एक्स 2500 सफारी का चालक आशीष शुक्ला पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना, पूछने पर गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 777/20 धारा 279, 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 28.10.20 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सूरत उर्फ सुरती पुत्र आशाराम चौहान नि० लोनिया चौराहा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 652/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।